



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180809

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30220 वर्ष 2026

श्रीमती कुंता देवी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : ए.ज़ेड. खान

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आत्माराम नाडीवाल, शासकीय अधिवक्ता, शिप्रा नाडीवाल

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी पक्षकार की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शशांक शेखर पाण्डेय तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री आत्माराम नाडीवाल को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 226 सन् 2026, धारा 115(2), 352, 351(2), 105 बी.एन.एस., थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 10.07.2026 को 18:00 बजे घटित होना कथित है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11.07.2026 को 16:01 बजे दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब अभियोजन के मामले के लिए घातक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपों के अनुसार, आवेदक तथा सह-अभियुक्त महेंद्र और मोहित सिंह द्वारा सूचनादाता के पिता के साथ लाठी एवं डंडे से मारपीट किया जाना कथित है। सूचनादाता के पिता की प्रारंभिक रूप से दिनांक 10.07.2026 को रात्रि 08:25 बजे पी.जी.आई., पिलखनी, सरसावा, सहारनपुर में चिकित्सकीय जांच की गई थी। उपस्थित चिकित्सक, अर्थात् डॉ. विक्रम सिंह ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में कहा कि घायल के शरीर पर कोई शारीरिक चोट दिखाई नहीं दी थी। उन्होंने संपूर्ण उदर की यू.एस.जी. तथा अन्य जांचें कराने की सलाह दी। तत्पश्चात सूचनादाता के पिता की दिनांक 11.07.2026 को मृत्यु हो गई। शव-परीक्षण दिनांक 12.07.2026 को किया गया। शव-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बड़ी आंत फट गई थी। चिकित्सक की राय में घायल की मृत्यु मृत्यु-पूर्व चोट के परिणामस्वरूप सेप्टिक शॉक के कारण हुई। शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक, अर्थात् डॉ. ईवेश सिंह ने भी धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा कि कोई बाहरी चोट दिखाई नहीं दी थी। यह तर्क दिया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है। सूचनादाता के पिता की मृत्यु को कथित घटना के कारण हुई नहीं माना जा सकता। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त मोहित सिंह को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.2026 के आदेश के माध्यम से, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 29387 सन् 2026, मोहित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित किया गया है, जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक दिनांक 13.07.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु अभिलेख से उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख के परिशीलन के पश्चात, इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है। सह-अभियुक्त मोहित सिंह को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक एक माह से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिक समय से निरुद्ध है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है तथा राज्य की ओर से ऐसा कोई युक्तियुक्त आशंका सामने नहीं लाई गई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह या तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलंब करेगा अथवा साक्षी को धमकाएगा। अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

6. आवेदक-श्रीमती कुंता देवी, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर इस शर्त के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:

(i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होंगी;

(ii) अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी; तथा,

(iii) अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेंगी।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

31 अगस्त, 2026

एस.के.टी./-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।